

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला- जयपुर, थाना- प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर, वर्ष-2022
प्र0इ0रि0 सं.10/22.....दिनांक.....13/11/22
2. (i) अधिनियम:- धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व
120बी भा0दं0सं0
- (ii) अधिनियम धारायें
- (iii) अधिनियम धारायें
- (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें भा0दं0सं0.....
- (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या319 समय4:00 P.M.....
- (ब) अपराध घटने का दिन-बुधवार दिनांक 12.01.2022 समय 02.03 पीएम
- (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक
4. सूचना की किस्म :- लिखित /मौखिक- लिखित
5. घटनास्थल:- नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक के पास भैरू जी मन्दिर का
निर्माणाधीन हॉल
- (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:-बजानिब दक्षिण दिशा करीब 90 किमी
- (ब) बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
- (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थानाजिला
6. (i)परिवादी /सूचनाकर्ता :-
- (अ) नाम- श्री विकास कुमार बैरवा
- (ब) पिता/पति का नाम- श्री रामप्रसाद बैरवा
- (स) जन्म तिथी- उम्र-25 वर्ष
- (द) राष्ट्रीयता - भारतीय
- (य) पासपोर्ट संख्याजारी होने की तिथि
जारी होने की जगह
- (र) व्यवसाय-ठेकेदारी
- (ल)पता- नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : -
1. श्री मनीष सोनी चेयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक।
2. श्री प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर माली जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं0 27,
पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा, जिला टोंक हाल ठेकेदार
ग्रेड-सी क्लास नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक।
3. श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 28 साल निवासी
चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर
पालिका मालपुरा, जिला
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त
पन्ना लगायें).....

10. चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य-15,000/-रु0
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षितहो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें):-

दिनांक 29.11.2021 को परिवारी श्री विकास कुमार बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा उम्र 25 वर्ष, नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत इस आशय की प्रस्तुत की कि 'सेवामें श्रीमान उपमहानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विषय:- कानूनी कार्यवाही करने बाबत महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं विकास कुमार बैरवा हूं। मेरा टैंडर PWD से D क्लास का सरकारी ठेकेदार हूं। मेरा टैंडर नगरपालिका मालपुरा में वार्ड नं. 15 शिव मंदिर में सामुदायिक भवन निर्माण का कार्य जिसका मुझे वर्क ऑर्डर दिनांक 10.11.2020 को मिला जिसमें दिये गये समयानुसार मैंने यह कार्य पूर्ण समय दो महिने में पूरा किया तथा जब मैंने बिल के लिये कर्मचारियों से कहा तो वह आ कल- आज कल करते रहे। और मुझे परेशान करते थे। मैं रोज नगरपालिका मालपुरा जाता और निराश लौट जाता ऐसा करते करते उन्होंने छः सात महिने निकाल दिये। फिर कुछ दिन बाद में चैयरमैन श्रीमति सोनिया सोनी पति मनीष सोनी के पास गया तो उन्होंने मेरा रनिंग बिल बनाया जो कि राशि- 301915.82/- थी तथा उसके बाद में फाईनल बिल के लिये वापस नगरपालिका मालपुरा में गया तो फिर से चैयरमैन के पति मनीष सोनी द्वारा तीन-चार महिने तक परेशान किया गया। फिर जब मैंने परेशान करने की वजह पूछी तो चैयरमैन के पति मनीष सोनी द्वारा तथा चैयरमैन श्रीमति सोनिया सोनी द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन की बात सामने आई नगरपालिका में सारा लेनदेन की कार्यवाही चैयरमैन के पति मनीष सोनी करते हैं। तथा मनीष सोनी के प्रिय मित्र प्रेम माली वह पैसे लेते हैं। मनीष सोनी के कहने पर तब जाके मेरा फाईनल बिल बनाया तथा कुल बिल का 10 प्रतिशत कमीशन राशि जो कि मैं नहीं देना चाहता तथा मैं इन भ्रष्टाचारियों को पकड़वाना चाहता हूं। अतः कार्यवाही करने का श्रम करें। एस.डी. विकास कुमार बैरवा पुत्र रामप्रसाद बैरवा पता गांव बडकापाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा लालसोट जिला दौसा मो.नं. 9588091946"। जिस पर दिनांक 14-12-2021, 17-12-2021, 21-12-2021 एवं 3-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो दिनांक 14-12-2021 की वार्ता में श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति द्वारा परिवारी के निर्माण कार्य से संबंधित पूर्व में पास किये गये भुगतान के बाद भी परिवारी नहीं मिलने के कारण शेष भुगतान नहीं करने संबंधी उलाहना देना तथा श्री मोनू से मिलने के लिए कहना व मोनू द्वारा चैयरमैन के कहनुसार 25000/- रुपये रिश्वत के परिवारी को देने के लिए कहना तथा रिश्वती राशि स्वयं द्वारा नहीं लेने की बात कहने पर परिवारी से पुनः रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 17-12-2021 व 21-12-2021 को रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जिसमें आरोपी मनीष सोनी चैयरमैन पति द्वारा परिवारी की निर्माण कार्य से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करना तथा परिवारी को मोनू द्वारा 25000/- रुपये रिश्वती राशि श्री मनीष के द्वारा मांगी जाने की सूचना दी इस बात से श्री मनीष को अवगत करवाया तो श्री मनीष ने परिवारी से कहा कि पैसे की बात मोनू ही करता है एवं मोनू तथा प्रेम माली से मिलने के परिवारी को कहा था। इस पर दिनांक 3-1-2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसार आरोपी श्री प्रेमचंद माली द्वारा परिवारी से 20,000/- रुपये रिश्वत की मांग करना एवं 15000/- रुपये पहले लेना एवं शेष 5000/- रुपये बाद में देना तय हुआ। उक्त वार्ताओं की नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई।

दिनांक 10-01-2022 को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवारी विकास कुमार बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद बैरवा नि. गांव बड का पाडा पोस्ट शिवसिंहपुरा, लालसोट जिला दौसा को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवारी श्री विकास कुमार बैरवा ने अपने पास से पांच पांच सौ रुपये के 30 नोट कुल 15000/- रुपये प्रस्तुत किए। उपरोक्त वर्णित नम्बरी नोट पर श्री सतीश कुमार कानि0 275 से फिनोलफथलीन पाउडर लगाया जाकर फर्द सुपुर्दगी नोट फिनोलफथलीन पाउडर व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 10-01-2022 को ट्रेप कार्यवाही हेतु मालपुरा पहुंचे परन्तु आरोपी के मालपुरा नहीं होने पर कार्यवाही नहीं हो सकी। इसलिए ब्यूरो कार्यालय वापस आए।

दिनांक 12-1-2022 को स्वतंत्र गवाहान एवं परिवारी के समक्ष कार्यालय की आलमारी से रिश्वती राशि 15000/- रुपये का लिफाफा श्री सतीश कुमार कानि0 275 से निकलवाकर उक्त नोटों का मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया। श्री सतीश कुमार कानि0 275 से रिश्वती राशि परिवारी के

पास रखवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

दिनांक 12-1-2022 को मन् पुलिस निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह मय परिवारी एवं स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ मय सामान सरकारी व सरकारी वाहनो से ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक के आस पास पहुंचकर ट्रेप जाल बिछाया गया।

समय करीब 02.03 पीएम पर परिवारी श्री विकास कुमार बैरवा ने अपने मुंह से मास्क हटाकर निर्धारित ईशारा किया। परिवारी का ईशारा पाते ही मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ नगर पालिका के पास डेयरी बूथ के पास भैरू जी मन्दिर का निर्माणाधीन हॉल में खड़े परिवारी के पास पहुंचकर परिवारी को पूर्व में सुपुर्द किया गया विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बंद करके सुरक्षित रखा गया। परिवारी के पास एक व्यक्ति हाथ में एक थैली लिए हुए खड़ा था जिसकी की तरफ परिवारी ने ईशारा कर बताया कि यह प्रेम जी है इन्होंने अभी-अभी मुझसे रिश्वत के 15000/- रुपये मांगकर थैली के अन्दर रखवा लिए हैं इतने में उस व्यक्ति ने थैली अपने हाथ से नीचे जमीन पर गिरा दी। परिवारी के बतायेनुसार उस व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर माली जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं0 27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा, जिला टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास होना बताया। तत्पश्चात् परिवारी ने मन् पुलिस निरीक्षक को पुनः बताया कि मैं नगर पालिका में मोनू के रूम में गया तो वहां पर मोनू व प्रेमचंद नहीं थे अन्य दो तीन आदमी खड़े हुए थे अन्य व्यक्ति जो खड़े हुए थे जिनसे प्रेमजी के बारे में पूछा तो उन व्यक्तियों ने प्रेमजी के बारे में केशियर के रूम में होना बताया। केशियर वाले रूम में गया तो वहां पर प्रेम जी मिल गए जिनसे हैलो हैलो होने के बाद प्रेमजी ने कहा कि बाहर खड़े रहो मैं बाहर आ रहा हूं मैं केशियर के कमरे के बाहर खड़ा रहा। कुछ समय बाद प्रेम जी केशियर के रूम से बाहर मेरे पास आया मुझसे बातचीत करता हुआ बाहर चाय की दुकान के पास बने भैरू जी के मन्दिर के हॉल में ले गया तथा स्वयं ही दो चाय लेकर आया तथा चाय पीने के बाद प्रेम जी ने टेण्डर वगैराह की बातचीत की फिर मैंने कहा कि यह ले लो मैं चलता हूं इसके बाद प्रेमजी ने कहा कि लाओ दे दो। प्रेम जी के हाथ में एक थैली थी जिसमें एक फाईल रखी हुई थी प्रेमजी ने कहा कि इस थैली में डाल दो थैली को प्रेम जी ने अपने हाथ से चौड़ी करी तो मैंने अपनी जेब से इनकी मांग के अनुसार रिश्वत के 15000/- रुपये उस थैली में डाल दिए। प्रेमजी ने नोटों के हाथ नहीं लगाया ना ही गिने। थैली में डालने के पश्चात् प्रेमजी ने मुझे कहा कि चार पांच दिन में तेरा बिल हो जायेगा। इसके बाद मैंने आपको ईशारा कर दिया था।

इस पर पास खड़े प्रेमचंद माली ठेकेदार से पूछने पर परिवारी को पहचानने से मना कर दिया तथा पुनः तसल्ली देकर पूछा कि इसने कोई रुपये आपको दिए हैं क्या? इस पर प्रेमचंद माली ने सोच समझकर बताया कि यह मेरे पास कुछ समय पहले आए थे मैंने इनके रोड़ी पत्थर सामान डाला था उसका पेमेन्ट मुझे दिया है इस पर पूछा कि कितना पेमेन्ट दिया है तो बताया कि मुझे ध्यान नहीं है कितना पेमेन्ट दिया है तथा प्रेमचंद माली से अपने हाथ में जो थैली थी उसे जमीन पर डालने के बारे में पूछा तो बताया कि यह थैली मेरी ही है परिवारी की तरफ ईशारा कर बताया कि इसने अभी-अभी रुपये दिए थे जो मैंने हाथ में नहीं लिए इस थैली में रखवा लिए थे। मैंने थैली फेंकी नहीं हाथ से गिर गई है। इस पर परिवारी ने श्री प्रेमचंद माली की बात का खण्डन करते हुए बताया कि प्रेमचंद माली झूठ बोल रहा है मेरी तरफ यह कोई रुपये नहीं मांगता है इसने कोई रोड़ी पत्थर व सामान मेरे काम के लिए नहीं डाला है। मेरे अटके हुए बिल की राशि चैयरमैन पति मनीष जी से पास करवाने की ऐवज में इसने रिश्वती राशि 15000/- रुपये प्राप्त की है।

तत्पश्चात् जमीन पर पड़ी थैली को स्वतंत्र गवाह राजवीर सिंह से उठवाई गई तो उक्त थैली पर इंग्लिश में एन पेपर प्लास्टिक ओनली रियूजेबल बेग्स, नगर पालिका मालपुरा वी आर फॉर ए ग्रिनर अर्थ लिखा हुआ है जिसको चैक करवाया तो थैली में पांच पांच रुपये के नोटों की गड्डी तथा एक नगर पालिका मालपुरा की फाईल रखी हुई है थैली में रखे हुए नोटों की गड्डी को गवाहान से चैक करवाया तो फर्द पेशकशी रिश्वत राशि से थैली में मिले नोटों का मिलान हुआ। श्री प्रेमचंद माली को साथ लेते हुए मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ को साथ

लेते हुए नगर पालिका मालपुरा में पहुंचकर प्रथम तल पर बने हुए मिटिंग हॉल में पहुंचकर लिखापढ़ी की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

दर्ज रहे कि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवारी अपने बिलो को भुगतान पास करवाने हेतु नगर पालिका मालपुरा की चैयरमैन से सम्पर्क करने हेतु चैयरमैन से मिलने हेतु उसके घर पर गया तो घर वालो ने परिवारी को चैयरमैन से नहीं मिलने दिया तथा चैयरमैन पति मनीष से मिलने हेतु कहा था इस पर परिवारी ने श्री मनीष से सम्पर्क किया तो मनीष ने रिश्वत की बात करने हेतु नगर पालिका के संविदा कर्मी मोनू से मिलने हेतु कहा था परिवारी ने मोनू से सम्पर्क किया तो मोनू ने मनीष के कहने पर परिवारी को 25000/- रुपये रिश्वत देने का मनीष चैयरमैन पति का मैसेज परिवारी को दे दिया था चूंकि परिवारी को रिश्वत देने की राशि चैयरमैन पति मनीष के द्वारा मोनू को बतायी थी तथा मोनू ने यह मैसेज परिवारी को दिया है इसलिए चैयरमैन तथा चैयरमैन पति मनीष तथा मोनू का रिश्वत मांग में अहम भूमिका रही है जिनसे मौके पर पूछताछ आवश्यक थी। श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ श्री ओमप्रकाश कानि0 85, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 68 व श्रीमती सुनिता महिला कानि0 43 को चैयरमैन तथा चैयरमैन पति श्री मनीष सोनी को एवं श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 व श्री रामकल्याण हैड कानि0 25 को मोनू को लाने हेतु मुनासिब हिदायत की गई।

नोट दर्ज रहे कि श्री प्रेमचंद माली ने रिश्वती राशि 15000/- रुपये अपने हाथ में नहीं लेकर सीधे ही उसके पास जो थैली थी उसमें रखवाए है ऐसी स्थिति में दोनों हाथों का धोवन नहीं लिया गया।

स्वतंत्र गवाह राजवीर सिंह के पास रखवाई गई थैली को पुनः चैक किया गया तो उसमें एक पांच पांच सौ रुपये के नोटों की गड्डी एवं एक नगर पालिका की पत्रावली रखी हुई है। उक्त थैली में से नोटों की गड्डी निकलवाकर उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान से गिनवाए गए तो पांच पांच सौ रुपये के तीस नोट कुल 15000/- रुपये मिले हैं जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हूबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उक्त नोटों को एक सफेद कागज में रख कर सिल चिट मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स से एक साफ कांच का गिलास निकलवाकर उसमें मिटिंग हॉल में रखी पानी की बोतल से उक्त गिलास को पुनः धुलवाकर उसमें बोतल से साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डालकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमें रिश्वती राशि 15000/- रुपये रिश्वत के परिवारी से श्री प्रेमचंद माली द्वारा रखवाये गये थे उक्त थैली को उलटवाकर एक कपड़े की चिंदी को बारी-बारी से उक्त गिलास के घोल में बारी-बारी से डुबोकर उक्त थैली व थैली में रखी पत्रावली के उपर से धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे समस्त हाजरीन ने गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क टी-1, टी-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा कपड़े की चिंदी को सुखाकर एवं कपड़े की थैली जिस पर इंग्लिश में एन पेपर प्लास्टिक ओनली रियूजेबल बेग्स, नगर पालिका मालपुरा वी आर फॉर ए ग्रिनर अर्थ लिखा हुआ है को एक कपड़े की थैली में रखकर सील चिट मोहर कर मार्क-टी अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

तत्पश्चात् थैली में रखी पत्रावली के बारे में श्री प्रेमचंद माली से पूछा गया तो श्री प्रेमचंद माली ने बताया कि यह नगर पालिका की पत्रावली है मेरे पानी के टैंकर डालने का ठेका है यह पत्रावली मेरे पानी के टैंकरो से संबंधित है जिसे मैं नगर पालिका के बाबू श्री निहाल जी स्टोर कीपर से अकाउंटेंट से दस्तखत करवाने के लिए लेकर आया था। परन्तु अकाउंटेंट जी के दस्तखत करवाने से पहले ही श्री विकास मिल गया था इसलिए मैं अकाउंटेंट के दस्तखत नहीं करवा पाया था तथा पत्रावली मैंने कपड़े की थैली में रखी थी।

श्री सत्येन्द्र कुमार हैड कानि0 69 एक व्यक्ति को साथ लेकर आया व बताया कि यह मोनू है इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टॉफ

का परिचय देते हुए इसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 28 साल निवासी चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक होना बताया तथा पूछने पर पास खड़े परिवारी की तरफ इशारा कर बताया कि मैं इसे जानता हूं इसका नाम विकास है यह नगर पालिका मालपुरा में ठेकेदार है इसने अपने निर्माण कार्य से संबंधित बिल पास करवाने के लिए मुझे कहा था तब मैंने इसे कहा था कि बिलो से मेरा कोई लेना देना नहीं है तब इसने मुझे कहा कि मनीष जी चैयरमैन पति ने आपसे मिलने के लिए कहा है इस पर मैं मनीष जी से मिला तो उन्होंने मुझे विकास ठेकेदार के बिलो के भुगतान की ऐवज में 25000/- रुपये विकास से लेने के लिए मुझे कहा था तब मैंने मनीष जी को कहा था कि मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ता हूं तब मनीष जी ने कहा कि विकास तक मैंसेज पहुंचा दे चूंकि मैं संविदाकर्मी के रूप में लगा हुआ था यदि मनीष जी चैयरमैन पति की बात नहीं मानता तो वह मुझे नौकरी से हटा देते इसलिए मैंने उनके कहने पर मैंने विकास ठेकेदार को इसके बिलो के भुगतान के क्रम में मनीष जी को पच्चीस हजार रुपये देने के लिए कहा था मैंने इस विकास को उस समय ही कह दिया था कि मैं ना तो पैसे लूंगा और ना ही इन लफड़ों में पड़ता हूं मनीष जी जाने या तूम जानो इसके बाद मैंने कभी भी विकास से बात नहीं करी। उक्त बात से यह स्पष्ट होता है कि परिवारी श्री विकास कुमार बैरवा के बिल पास करवाने में श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक की मदद की है।

तत्पश्चात् श्री निहाल बाबू को तलब करने पर मौके पर उपस्थित आए जिसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम निहाल चंद जैन पुत्र श्री भागचंद जैन, उम्र 34 साल, निवासी मालपुरा वार्ड नं० 21 जैन मोहल्ला हाल कनिष्ठ लिपिक नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक मो० नं० 8233878463 होना बताया तथा श्री प्रेमचंद माली के कब्जे से मिली नगर पालिका की पत्रावली के बारे में पूछा तो श्री निहालचंद जैन ने बताया कि यह आज कुछ समय पहले मेरे पास आया था जिसने अपने पानी टैंकर सप्लाय करने का ठेका है की पत्रावली अकाउंटेंट से दस्तखत करवाने के लिए लेकर गया था। चूंकि उक्त पत्रावली श्री प्रेमचंद माली के पास मिली है जिसके उपर से धोवन भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्रावली पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।

विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्ड्स को बारी-बारी चलाकर सुना गया तो उसमें रिश्वत लेन देन के वक्त की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई है जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट व रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन की सीडी नियमानुसार तैयार की गयी।

दर्ज रहे कि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति द्वारा परिवारी श्री विकास कुमार बैरवा की पत्रावली केशियर श्री अम्बालाल के पास से लाने हेतु परिवारी को भेजा था जिस पर परिवारी केशियर के पास गया था तब नगर पालिका मालपुरा के केशियर ने पत्रावली प्रेम को देने की बात की थी तथा उसी दौरान केशियर के पास नगर पालिका मालपुरा के अकाउंटेंट श्री रमेश चंद मीना भी खड़े थे उक्त दोनों कर्मचारियों से पूछताछ की जानी थी लेकिन श्री अम्बालाल केशियर के भाई का हाटअटैक आने से वह मौके पर उपस्थित नहीं था। नगर पालिका मालपुरा के अकाउंटेंट श्री रमेश चंद मीना से उक्त रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान पत्रावली संबंधी वार्ता अम्बालाल से हुई थी इस क्रम में पूछताछ की गई तो श्री रमेश चंद मीना सहायक लेखाधिकारी प्रथम नगर पालिका मालपुरा ने बताया कि श्री विकास कुमार बैरवा एक दिन पत्रावली लेने हेतु अम्बालाल केशियर के पास खड़ा था तथा चैयरमैन साहब के साईनो हेतु पत्रावली देने हेतु अम्बालाल को कहा था इस पर मैंने विकास ठेकेदार को डाटते हुए कहा था कि पत्रावली तुम्हें कैसे दे सकते हैं तुम प्राईवेट आदमी हो इस पर भुगतान संबंधी आदेश मेरे द्वारा कर दिया गया था तथा ई.ओ. से साईन हम अपने आप करवा लेगे फाईल तेरे को नहीं देंगे। इसके बाद विकास ठेकेदार वहां से चला गया था।

परिवारी की फर्म मॉर्डन ट्रेड कन्सट्रक्शन कम्पनी से संबंधित पत्रावली की फोटो प्रति प्रमाणित पेश करने हेतु कार्यालय में मौजूद श्री नवरत्न शर्मा, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका मालपुरा को कहा गया। पत्रावली की फोटो प्रति प्रमाणित प्राप्त होने पर जरिये फर्द जप्ती पृथक से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी।

समय 4.50 पीएम पर श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ के मौके पर उपस्थित आए और बताया कि श्रीमती सोनिया सोनी चैयरमैन तथा श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा को उसके मकान एवं आस पास में तलाश किया गया तो श्रीमति सोनिया सोनी चैयरमैन नगर पालिका मालपुरा तथा श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति कही नहीं मिले है। इस संबंध में श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने नगर पालिका ई.ओ. श्री नवरत्न शर्मा से श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति के बारे में पूछताछ की तो श्री नवरत्न शर्मा ई.ओ. ने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले मैं और चैयरमैन पति श्री मनीष जी थाने के पास नाला निर्माण का मौका देखने गए थे जिसका निरीक्षण करके मैं तो वापस आ गया तथा मनीष जी वहीं रुक गए थे। इस पर श्री मनीष सोनी को फोन करने हेतु पुलिस उप अधीक्षक ने ई.ओ. को कहा तो ई.ओ. ने अपने मोबाईल फोन नं० 8952943133 से श्री मनीष सोनी के मोबाईल फोन 8003665013 पर समय 2.36 पीएम पर फोन कराया तो श्री मनीष ने मोबाईल फोन रिसिव नहीं किया। थोड़ी देर बाद श्री मनीष का मोबाईल फोन ई.ओ. साहब के फोन पर आया तथा बताया कि मैं तो जयपुर निकल गया। इस पर श्री संजय कुमार पुलिस उप अधीक्षक ने भी ई.ओ. के फोन से श्री मनीष से वार्ता की और कहा कि अभी तो आप यही थे और ट्रेप कार्यवाही के संबंध में अवगत कराते हुए अपना स्पष्टीकरण देने हेतु नगर पालिका उपस्थित होने हेतु सूचित किया तो श्री मनीष ने कहा कि मैं अभी आता हूं। श्री मनीष का काफी इंतजार किया लेकिन वह अभी तक भी उपस्थित नहीं आया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भी नगर पालिका मालपुरा से चैयरमैन श्रीमति सोनिया सोनी के नम्बर लिए गए तो मोबाईल नम्बर 8003665013 बताए यह नम्बर श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति के ही है। अतः उक्त नम्बरो में कॉल किया गया तो मोबाईल स्वीच ऑफ आया।

परिवादी के पैण्डिंग कार्य से सम्बन्धित निर्माण कार्य की मूल पत्रावली तलब कर अवलोकन किया जिसमें परिवादी के फाईनल बिल भुगतान हेतु अकाउंटेंट द्वारा दिनांक 18-11-2021 को 74938/- रुपये की अनुशंषा की हुई है तथा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मालपुरा द्वारा नोटशीट पर 9-12-2021 को भुगतान करने की अनुशंषा करके चैयरमैन नगर पालिका मालपुरा को मार्क की हुई है। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान चैयरमैन पति श्री मनीष सोनी ने इस पत्रावली का अवलोकन भी किया था लेकिन परिवादी द्वारा रिश्वत नहीं देने के कारण चैयरमैन पति ने परिवादी को भुगतान नहीं करवाया जाना उक्त पत्रावली से भी स्पष्ट होता है। उक्त रिकार्ड की प्रमाणित फोटो प्रति मुताबिक फर्द प्राप्त की गई।

उक्त कार्यवाही से श्री मनीष सोनी चैयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक एवं श्री प्रेमचंद माली हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास नगर पालिका मालपुरा एवं श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका जिला टोंक ने आपसी मिली भगत कर परिवादी श्री विकास कुमार बैरवा की फर्म मॉडर्न ट्रेड कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा मालपुरा में किए गए निर्माण कार्य कुल करीब 4.08 लाख रुपये में से पूर्व में भुगतान किये गये बिल की राशि 2,28 लाख की ऐवज में 10 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 25000/- रुपये श्री मोनू द्वारा मांगना तथा बाद में प्रेम से 20000/- रुपये लेन देन होना तथा यह रिश्वती राशि नहीं देने पर करीब 74000/- रुपये का भुगतान परिवादी को नहीं किया था। रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में 15000/- रुपये रिश्वत राशि परिवादी श्री विकास कुमार बैरवा से श्री प्रेमचंद माली से मांग कर अपने साथ लायी गई कपड़े की थैली में डलवाए है तथा रिश्वती राशि 15000/- रुपये श्री प्रेमचंद माली के पास मिली कपड़े की थैली से बरामद हुए हैं। जिससे उक्त आरोपियों का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम वर्ष 2018 व 120बी भा०दं०सं० का पाया जाने पर श्री प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर माली जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं० 27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा, जिला टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास एवं श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, जाति ब्राहमण, उम्र 28 साल निवासी चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका जिला टोंक को पृथक-पृथक जरिये फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

अतः आरोपीगण (1) श्री मनीष सोनी चेयरमैन पति नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक, (2) श्री प्रेमचंद माली पुत्र श्री रामकिशोर माली जाति माली उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड नं० 27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा, जिला टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक एवं (3) श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनू पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 28 साल निवासी चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी, जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 120बी भा०दं०सं० में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।




(मानवेन्द्र सिंह)

पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मानवेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादंस में अभियुक्तगण 1.श्री मनीष सोनी, चेयरमैन पति, नगर पालिका मालपुरा, जिला टोंक 2.श्री प्रेमचन्द माली पुत्र श्री रामकिशोर माली निवासी वार्ड नं.27, पुरानी तहसील, बम्ब तलाव के पास, मालियों का मोहल्ला, मालपुरा जिला टोंक हाल ठेकेदार ग्रेड-सी क्लास, नगर पालिका मालपुरा 3.श्री योगेन्द्र गौतम उर्फ मोनु पुत्र श्री जयप्रकाश शर्मा, निवासी चौमूखाजी मन्दिर के पास डिग्गी जिला टोंक हाल तकनीकी सहायक संविदा कर्मी, नगर पालिका जिला टोंक विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 10/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना की प्रतियाँ रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 85-89 दिनांक 13.01.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मालपुरा, जिला टोंक।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।


उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।